न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 36/2021

सरपंच ग्राम पंचायत धतरवाला, पंचायत समिति चिड़ावा जिला झुंझुनू।

– निगरानीकार

–बनाम–

1. जगुराम पुत्र भोलूराम आयु 70 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम कुतुबपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
2. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत धतरवाला पंचायत समिति चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

– गैर निगरानीकार

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राज0 पंचायत राज. अधि0 1994 विरूद्ध
जारी करने पट्टा दिनांक 29.11.75 द्वारा ग्राम पंचायत धतरवाला

उपस्थितिः–

1. श्री श्रवण कुमार, एडवोकेट ----- – -----निगरानीकार की ओर से ।

–निर्णय– दिनांक 28.02.2022

उक्त निगरानी अंतर्गत धारा 97 राज0 पंचायत राज. अधि0 1994 विरूद्ध जारी करने पट्टा दिनांक 29.11.1975 ग्राम पंचायत धतरवाला के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि– ग्राम पंचायत धतरवाला द्वारा जारी किया गया पट्टा दिनांक 29.11.1975 जो गैर निगरानिकार नंबर 1 जगुराम को दिया गया था, विधि विरूद्ध गलत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। भूमि खसरा नंबर 75 मी. रकबा 64 बीघा 11 विश्वा किस्म गै0 मु0 जोहड़ के नाम दर्ज रही है, जिसके हाल खसरा नंबर 160 रकबा 1.01 हैक्टर सिवायचक नाकाबिल काश्त स्कूल के नाम है। का पट्टा गैर निगरानीकार नंबर 1 जगुराम को को विधि विरूद्ध जारी किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। गत खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.03.16 12:54:06 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

नंबर 75 हाल खसरा नंबर 160 ग्राम कुतुबपुरा में रिकार्ड की बिना कोई जांच किये तत्कालीन सरपंच ने गैर निगरानीकार नंबर 1 जगुराम को अवैध व अनाधिकृत रूप से अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर गैर मु0 जोहड़ की भूमि पर पट्टे जारी किये गये हैं, जो निरस्त होने योग्य हैं। गैर निगरानीकार नंबर 2 के द्वारा गैर निगरानीकारान नंबर 1 जगुराम को पटटा जारी करने से पूर्व युक्तियुक्त जांच न करने में अहम कानूनी भूल की है। आबादी भूमि का विक्रय विलेख का पट्टा किया गया है, जबकि नियम 167 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसे पट्टे पर सरपंच और सचिव के संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किये जायेंगे, जबकि उक्त पटटे पर दोनों के हस्ताक्षर नहीं है। गैर निगरानीकार नंबर 2 ने सम्पूर्ण कार्यवाही मनमर्जी से कर पट्टा जारी किया है, जो काबिले खारिज है। प्रधानाचार्य राबाउमावि धतरवाला ने विधालय के खेल मैदान से अतिक्रमण हटाने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिनांक 28.10.2021 को तहसीलदार चिड़ावा को प्रेषित किया है। जिस पर तहसीलदार द्वारा जांच हल्का पटवारी से करवाई गई तो उक्त गलत पटटा जारी होने की जानकारी हुई। अंत में निगरानीकार पेश कर निवेदन किया कि निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत धतरवाला द्वारा जारी पट्टा दिनांक 29.11.1975 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकार को तारीख पेशी की सूचना नकल निगरानी के साथ भेजकर दी गई। गैर निगरानीकार सरपंच ग्राम पंचायत धतरवाला की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि भूमि खसरा नंबर 75 मी. रकबा 64 बीघा 11 विश्वा किस्म गै.मु. जोहड़ के नाम दर्ज रही है जिसके हाल खसरा नंबर 160 रकबा 1.01 हैक्टर गै.मु. स्कूल के नाम दर्ज है। तत्कालीन सरपंच ने बिना कोई जांच किये व राजस्थान पंचायती राज अधि0 के प्रावधानों की बिना पालना किये मनमर्जी से अपने व्यक्तियों को लाभ पंहुचाने की नियत से अपने स्वयं के हस्ताक्षर से पट्टे जारी कर दिये गये थे इनका ग्राम पंचायत में कोई रिकार्ड नहीं है। तत्कालीन सरपंच द्वारा अपनी अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अपनी मर्जी से उक्त पटटे जारी किये हैं, जो शून्य व निष्प्रभावी है। अतः पट्टा गलत होने के कारण निरस्त फरमाया जावे।

मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मौजूद होने पर विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की बहस निगरानी सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.03.16 12:54:06 IST
Reason: SelfAttested
अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

दौराने बहस वकील निगरानीकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:– ग्राम पंचायत धतरवाला द्वारा जारी किया गया पट्टा दिनांक 29.11.1975 विधि विरूद्ध गलत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। भूमि खसरा नंबर 75 मी. रकबा 64 बीघा 11 विश्वा किस्म गै0 मु0 जोहड़ के नाम दर्ज रही है, जिसके हाल खसरा नंबर 160 रकबा 1.01 हैक्टर सिवायचक नाकाबिल काश्त स्कूल के नाम से दर्ज है, का पट्टा गैर निगरानीकार नंबर 1 जगुराम को विधि विरूद्ध जारी किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। गत खसरा नंबर 75 हाल खसरा नंबर 160 ग्राम कुतुबपुरा में रिकार्ड की बिना कोई जांच किये तत्कालीन सरपंच ने गैर निगरानीकार नंबर 1 जगुराम को अवैध व अनाधिकृत रूप से अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर गैर मु0 जोहड़ की भूमि पर पट्टे जारी किये गये हैं, जो निरस्त होने योग्य हैं। गैर निगरानीकार नंबर 2 के द्वारा आबादी भूमि का विक्रय विलेख का पट्टा किया गया है, जबकि नियम 167 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसे पट्टे पर सरपंच और सचिव के संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किये जायेंगे, जबकि उक्त पटटे पर दोनों के हस्ताक्षर नहीं है। गैर निगरानीकार नंबर 2 ने सम्पूर्ण कार्यवाही मनमर्जी से कर पट्टा जारी किया है, जो काबिले खारिज है। अंत में निगरानीकार पेश कर निवेदन किया कि निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत धतरवाला द्वारा जारी पट्टा दिनांक 29.11.1975 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे।

प्रकरण में गैर निगरानीकार संख्या–1 जगुराम बावजुद तामील के अनुपस्थित रहा है। अतः उसके विरूद्धा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रकरण में गैर निगरानीकार संख्या–2 ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत धतरवाला द्वारा जरिये पत्रांक 395 दिनांक 7.1.2022 द्वारा अवगत कराया गया कि– प्रकरण से संबंधित ग्राम पंचायत धतरवाला के वर्तमान सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी धतरवाला द्वारा बताया गया कि उक्त पटटे का कोई भी रिकार्ड ग्राम पंचायत में नहीं पाया गया और ना ही कोई कार्यवाही रजिस्टर है और ना कोई रिकार्ड दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.03.16 12:54:06 IST
Reason: SelfAttested

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की बहस पर मनन किया। जहां तक हस्तगत निगरानी में गैर निगरानीकार संख्या 1 जगुराम के नाम से

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

प्रस्तुत उक्त पट्टे का प्रश्न है– राजस्व रिकार्ड में भूमि खसरा नंबर 75 मी. रकबा 64 बीघा 11 विश्वा किस्म गै0 मु0 जोहड़ के नाम दर्ज रही है, जिसके हाल खसरा नंबर 160 रकबा 1. 01 हैक्टर सिवायचक नाकाबिल काश्त स्कूल के नाम से दर्ज है। जहां तक हस्तगत निगरानी में प्रस्तुत पट्टे का प्रश्न है, उक्त पट्टा ग्राम पंचायत धतरवाला द्वारा जारी नहीं किया जाना ग्राम पंचायत द्वारा जवाब में बताया गया है। ग्राम पंचायत का कथन है कि तत्कालीन सरपंच ने बिना कोई जांच किये व राजस्थान पंचायती राज अधि0 के प्रावधानों की बिना पालना किये मनमर्जी से अपने व्यक्तियों को लाभ पंहुचाने की नियत से अपने स्वयं के हस्ताक्षर से पट्टे जारी कर दिये गये थे इनका ग्राम पंचायत में कोई रिकार्ड नहीं होना बताया गया है। तथाकथित पटट्े पर तत्कालीन सरपंच के हस्ताक्षर हैं, सचिव ग्राम पंचायत धतरवाला के हस्ताक्षर नहीं है। ग्राम पंचायत सदन के बिना सरपंच को अकेले पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि की किस्म गैर मु0 जोहड़ दर्ज रही है। ग्राम पंचायत को आबादी भूमि के अलावा अन्य राजकीय भूमियों पर पट्टे जारी करने के अधिकार कभी नहीं रहे। अगर ग्राम पंचायत धतरवाला के सरपंच या पंचायत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उक्त तथाकथित पट्टा गैर निगरानीकार संख्या 1 जगुराम को जारी भी किया गया है तो भी इस पट्टे की कानूनी वैद्यता शून्य है। निगरानीकार द्वारा उक्त तथाकथित पट्टे की आड़ में जिस भूमि पर काबिज होना बताया गया है वह भूमि भी गै0 मु0 जोहड़ के नाम दर्ज रही है, जिसके हाल खसरा नंबर 160 रकबा 1.01 हैक्टर सिवायचक नाकाबिल काश्त स्कूल के नाम से दर्ज है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत पट्टा, पट्टा न होकर एक रद्दी पेपर शून्य दस्तावेज है, जिसकी कानूनन कोई अहमियत नहीं होने से यह दस्तावेज रद्दी पेपर/शून्य दस्तावेज की श्रेणी में आता है। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार का कथन है कि गैर निगरानीकार उक्त फर्जी दस्तावेज की आड़ में स्कूल की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, इसलिए पट्टा निरस्त किया जावे।

विवादित भूमि गै.मु. जोहड़ की भूमि रही है जो वर्तमान में स्कूल के नाम दर्ज रिकार्ड है। अबादी भूमि के अतिरिक्त किसी भी राजकीय [illegible] विधिक प्रावधानों से बाहर जाकर अगर कोई पट्टा आदि जारी कर जमीन पर अतिक्रमण किया जाता है और जिला कलक्टर के संज्ञान में आने पर सुमोटो भी निरस्त करने के अधिकार प्राप्त है। उक्त दस्तावेज पट्टा न

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.03.16 12:54:06 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

होकर एक रद्दी पेपर है, परन्तु गैर निगरानीकार इसका पट्टा बताकर राजकीय स्कूल की भूमि पर अतिक्रमण करना चाहता है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थियों को देखते निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार की जाकर हस्तगत प्रकरण में जगुराम पुत्र भोलूराम जाति जाट निवासी ग्राम कुतुबपुरा के नाम से तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत धतरवाला द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया के जारी उक्त पट्टे को निरस्त किया जाता है।

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 28.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.03.16 12:54:06 IST
Reason: SelfAttested